संख्या-22/2015/2911/71-1-2014-जी-76/2014

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 23 फरवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक विद्युत/यांत्रिक कार्य तथा मुख्य भवन में लिफट नं0-1 के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2014/469, दिनॉक 30-09-14 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-809/71-1-2014-जी-76/2014, दिनॉक 27-08-2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-809/71-1-14-जी-76/2014, दिनॉक 27-08-14 द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक विद्युत/यांत्रिक कार्य तथा मुख्य भवन में लिफ्ट नं0-1 के आधुनिकीकरण हेतु रू0 2,96,41,000/- (रू0 दो करोड़ छियानबे हजार इकतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 79.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अनुदान संख्या-31 से दी गयी थी। अब आपके पत्र दिनॉक 30-09-2014 में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत उक्त कार्य हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 21,21,000/- (रू0 इक्कीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- प्रस्तावित लिफट का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

http://sfasamadesh.up.nic.in

5- उक्त् स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-25-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव

संख्या:- 22/2015/2911(1)/71-1-2014 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रोफेसर-निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक-इकाई, ग्लोबल सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7- समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ)/नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in